



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग पाच

वर्ष ७, अंक ६]

मंगळवार, जुलै ६, २०२१/आषाढ १५, शके १९४३

[पृष्ठे २७, किंमत : रुपये २६.००

असाधारण क्रमांक २७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

(खालील विधेयकाचे हिंदी (देवनागरी लिपी) भाषांतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात यावे. प्रसिद्ध केल्याचा दिनांक निर्देशित करण्यात यावा).

पुढील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम यातील नियम ११६ (१) च्या पहिल्या परंतुकान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :—

L. A. BILL No. XVI OF 2021.

A BILL

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY FIRST DAY OF MARCH 2022.

सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १६.

दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी संपणा-या वर्षाच्या सेवांसाठी व प्रयोजनांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी विवक्षित रकमा देणे व त्यांचे विनियोजन करणे यांस अधिकृत मंजूरी देण्यासाठी विधेयक.

**ज्याअर्थी**, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०४ व २०५ अन्वये, दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी संपणा-या वर्षाच्या सेवांसाठी व प्रयोजनांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी रकमांचे विनियोजन करण्यासाठी विनियोजन अधिनियम संमत करून घेण्याकरिता व उक्त रकमांच्या प्रदानास अधिकृत मंजूरी देण्याच्या प्रयोजनाकरिता तरतूद करणे आवश्यक आहे ; **त्याअर्थी**, भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :—

१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०२१, असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव.

सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून रुपये २,३१,४९,७५,३१,००० काढणे.

२. राज्याच्या एकत्रित निधीतून, दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी संपणा-या वर्षात, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या सेवा व प्रयोजने यांच्या बाबतीतील कित्येक खर्च भागविण्यासाठी रकमा देतेवेळी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (४) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमांपेक्षा अधिक नसतील इतक्या म्हणजे तेवीस हजार एकशे एकोणपन्नास कोटी, पंच्याहत्तर लाख, एकतीस हजार रुपये एवढी एकूण बेरीज होणा-या रकमा देता येतील व त्यांचा विनियोग करता येईल.

विनियोजन. ३. या अधिनियमाद्वारे, राज्याच्या एकत्रित निधीतून ज्या रकमा देण्यासाठी व त्यांचा विनियोग करण्यासाठी अधिकृत मंजूरी देण्यात आलेली आहे, त्या रकमांचा विनियोग दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी संपणा-या वर्षात अनुसूचीत दर्शविलेल्या सेवा व प्रयोजने यांकरिता करण्यात येईल.

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक<br>(१) | कामे व प्रयोजने<br>(२)             | लेखाशिर्ष<br>(३)   | विधानसभेने मत् देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा<br>अधिक नसतील अशा रकमा -<br>(४) |       | एकूण           |
|---|------------------------------------|--|--|-------|----------------|
|   |                                    |  | रुपये  | रुपये |                |
| ए-६   | माहिती व प्रसिद्धी                 | ए-महसुली लेखावरील खर्च<br>सामान्य प्रशासन विभाग  | ३१,४०,९३,०००   | ...   | ३१,४०,९३,०००   |
|   |                                    | माहिती व प्रसिद्धी   | ३१,४०,९३,०००   | ...   | ३१,४०,९३,०००   |
|   |                                    | एकूण-सामान्य प्रशासन विभाग   | ३१,४०,९३,०००   | ...   | ३१,४०,९३,०००   |
|   |                                    | <b>गृह विभाग</b>   |  |       |                |
| बी-१  | पोलीस प्रशासन                      | न्यायदान<br>पोलीस<br>इतर प्रशासनिक सेवा  | २,६७,३८,५४,०००   | ...   | २,६७,३८,५४,००० |
| बी-२  | राज्य उत्पादन शुल्क                | राज्य उत्पादन शुल्क  | ६,८५,००,०००  | ...   | ६,८५,००,०००    |
| बी-४  | सेक्रेटरीएट आणि इतर प्रशासनिक सेवा | विक्रय वस्तू व सेवा यांवरील इतर कर व शुल्क<br>सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा<br>संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा | १,०८,००,०००  | ...   | १,०८,००,०००    |
| बी-५  | तुरुंग                             | तुरुंग   | ४,००,००,०००  | ...   | ४,००,००,०००    |
| बी-७  | आर्थिक सेवा                        | भारतीय रेल्वे-धीरण निश्चिती, संचालन, संशोधन व इतर संकीर्ण<br>संघटना<br>बंदरे व दीपगृहे             | १,००,००,००,०००   | ...   | १,००,००,००,००० |
|   |                                    | एकूण-गृह विभाग   | ३,७९,३१,५४,०००   | ...   | ३,७९,३१,५४,००० |





अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा किंवा इतर विनियोजनाचा क्रमांक | कामे व प्रयोजने                  | लेखाशिर्ष  | विधानसभेने मत देऊन मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा अधिक नसतील अशा रकमा - | एकूण           |
|---|----------------------------------|--|--|----------------|
| (१)                                     | (२)                              | (३)  | (४)  |                |
|   |                                  |  | रुपये  | रुपये          |
|   |                                  | एकूण-शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग   | २,९०,६०,६३,०००   | २,९०,६०,६३,००० |
| <b>नगरविकास विभाग</b>                   |                                  |  |  |                |
| एफ-२                                    | नगरविकास आणि इतर प्रागत सेवा     | जिल्हा प्रशासन<br>इतर प्रशासनिक सेवा<br>नगरविकास<br>मार्ग व पूल  | २,९४,७०,००,०००   | २,९४,७०,००,००० |
| एफ-३                                    | सेक्रेटरीपट आणि इतर सामाजिक सेवा | कामगार व सेवायोजन<br>सामाजिक सुरक्षा व कल्याण<br>सचिवालयीन-सामाजिक सेवा<br>वनीकरण व वन्यजीवन<br>इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा | १२,००,०१,०००   | १२,००,०१,०००   |
|   |                                  |  | एकूण-नगरविकास विभाग  | ३,०६,७०,०१,००० |
| <b>वित्त विभाग</b>                      |                                  |  |  |                |
| जी-२                                    | इतर आर्थिक आणि सर्वसाधारण सेवा   | इतर प्रशासनिक सेवा<br>संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा  | १०,००,०००  | १०,००,०००      |
|   |                                  |  | एकूण-वित्त विभाग   | १०,००,०००      |



अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक | कामे व प्रयोजने  | लेखाशिर्ष  | विधानसभेने मत् देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा |                       | एकूण |                 |
|--|--|--|--|-----------------------|------|-----------------|
|  |  |  | एकत्रित निधीवर भारित<br>केलेल्या रकमापेक्षा      | अधिक नसतील अशा रकमा - |      |                 |
| (१)  | (२)  | (३)  | (४)  | (४)                   |      |                 |
| के-६   | ऊर्जा  | <b>उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग</b>              |  |                       |      |                 |
|  |  | २८०१,  | वीज  | ८,५०,००,००,०००        | ...  | ८,५०,००,००,०००  |
|  |  | २८१०,  | नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा                            | ८,५०,००,००,०००        | ...  | ८,५०,००,००,०००  |
| एल-२   | जिल्हा प्रशासन   | <b>ग्रामविकास विभाग</b>                          |  |                       |      |                 |
|  |  | २०५३,  | जिल्हा प्रशासन                                   | १०,००,००,०००          | ...  | १०,००,००,०००    |
|  |  |  |  | १०,००,००,०००          | ...  | १०,००,००,०००    |
| एम-२   | अन्न, साठवण व वखार   | <b>अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग</b> |  |                       |      |                 |
|  |  | २४०८,  | अन्न, साठवण व वखार                               | ९,४२,०००              | ...  | ९,४२,०००        |
|  |  |  |  | ९,४२,०००              | ...  | ९,४२,०००        |
| एन-३   | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व<br>अल्पसंख्याक यांचे कल्याण | <b>सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग</b>        |  |                       |      |                 |
|  |  | २०५३,  | जिल्हा प्रशासन                                   | १७,६२,६६,७०,०००       | ...  | १७,६२,६६,७०,००० |
|  |  | २२०२,  | सर्वसाधारण शिक्षण                                |                       |      |                 |
|  | २२०५,  | कला व संस्कृती                                   |  |                       |      |                 |
|  | २२१०,  | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य                 |  |                       |      |                 |

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक | कामे व प्रयोजने  | लेखाशिर्ष | विधानसभेने मत् देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा |       | एकत्रित निधीवर भारित<br>केलेल्या रकमापेक्षा | एकूण  |
|--|--|-----------|--|-------|---|-------|
|  |  |           | (२)  | (३)   |   |       |
|  |  |           | रुपये  | रुपये | रुपये                                       | रुपये |
|  |  |           | (२)  | (३)   | (४)   |       |
| २२११,  | कुटुंबकल्याण   |           |  |       |   |       |
| २२१५,  | पाणी पुरवठा व स्वच्छता   |           |  |       |   |       |
| २२१६,  | गृहनिर्माण   |           |  |       |   |       |
| २२१७,  | नगरविकास   |           |  |       |   |       |
| २२२५,  | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक<br>यांचे कल्याण |           |  |       |   |       |
| २२३०,  | कामगार व सेवयोजन   |           |  |       |   |       |
| २२३५,  | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण   |           |  |       |   |       |
| २२३६,  | पोषण आहार  |           |  |       |   |       |
| २४०१,  | पीक संवर्धन  |           |  |       |   |       |
| २४०२,  | मृद व जलसंधारण   |           |  |       |   |       |
| २४०३,  | पशुसंवर्धन   |           |  |       |   |       |
| २४०५,  | मत्स्यव्यवसाय  |           |  |       |   |       |
| २४०६,  | वनीकरण व वन्यजीवन  |           |  |       |   |       |
| २४०८,  | अन्न, साठवण व वखार   |           |  |       |   |       |
| २५०१,  | ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम  |           |  |       |   |       |
| २५०५,  | ग्रामीण रोजगार   |           |  |       |   |       |
| २८०१,  | वीज  |           |  |       |   |       |
| २८१०,  | नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा  |           |  |       |   |       |
| २८५१,  | ग्रामोद्योग व लघुउद्योग  |           |  |       |   |       |
| २८५२,  | उद्योग   |           |  |       |   |       |
|  |  |           | १७,६२,६६,७०,०००                                  | ...   | १७,६२,६६,७०,०००                             |       |
|  |  |           | एकूण-सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग          |       |   |       |
|  |  |           |  |       |   |       |
|  |  |           | नियोजन विभाग                                     |       |   |       |
| ओ-२  | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व<br>अल्पसंख्याक यांचे कल्याण |           | ४४,८३,५०,०००                                     | ...   | ४४,८३,५०,०००                                |       |

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक<br>(१) | कामे व प्रयोजने<br>(२) | लेखाशिर्ष<br>(३)   | विधानसभेने मत देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा<br>अधिक नसतील अशा रकमा -<br>(४) |       | एकूण           |
|---|------------------------|--|---|-------|----------------|
|   |                        |  | रुपये   | रुपये |                |
| ओ-३   | ग्रामीण रोजगार         | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण   |   |       |                |
|   |                        | ग्रामीण रोजगार   | १,००,००,००,०००  | ...   | १,००,००,००,००० |
| ओ-१४  | जिल्हा योजना-मुंबई शहर | सर्वसाधारण शिक्षण  |   |       |                |
|   |                        | तंत्र शिक्षण   |   |       |                |
|   |                        | क्रीडा व युवक सेवा   |   |       |                |
|   |                        | कला व संस्कृती   |   |       |                |
|   |                        | गृहनिर्माण   | ४,०००   | ...   | ४,०००          |
|   |                        | नगरविकास   |   |       |                |
|   |                        | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक<br>यांचे कल्याण |   |       |                |
|   |                        | कामगार व सेवायोजन  |   |       |                |
|   |                        | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण   |   |       |                |
|   |                        | मत्स्यव्यवसाय  |   |       |                |
|   |                        | ग्रामोद्योग व लघुउद्योग  |   |       |                |
|   |                        | सचिवालयीन-आर्थिक सेवा  |   |       |                |
|   |                        | पर्यटन   |   |       |                |
|   |                        | सर्वसाधारण शिक्षण  |   |       |                |
|   |                        | तंत्र शिक्षण   |   |       |                |
|   |                        | क्रीडा व युवक सेवा   |   |       |                |
|   |                        | कला व संस्कृती   |   |       |                |
|   |                        | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य   |   |       |                |
|   |                        | पाणी पुरवठा व स्वच्छता   |   |       |                |
|   |                        | नगरविकास   |   |       |                |
|   |                        | माहिती व प्रसिद्धी   |   |       |                |
|   |                        | कामगार व सेवायोजन  |   |       |                |
| ओ-२०  | जिल्हा योजना-रायगड     | सर्वसाधारण शिक्षण  | १,०००   | ...   | १,०००          |

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक | कामे व प्रयोजने   | लेखाशिर्ष | विधानसभेने मत देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा |                       | एकूण  |
|--|---|-----------|---|-----------------------|-------|
|  |   |           | एकत्रित निधीवर भारित<br>केलेल्या रकमापेक्षा     | अधिक नसतील अशा रकमा - |       |
| (१)  | (२)   | (३)       | (४)   | (४)                   | रुपये |
| २२३५,  | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण  |           |   |                       |       |
| २२३६,  | पोषण आहार   |           |   |                       |       |
| २४०३,  | पशुसंवर्धन  |           |   |                       |       |
| २४०४,  | दुग्धव्यवसाय विकास  |           |   |                       |       |
| २४०५,  | मत्स्यव्यवसाय   |           |   |                       |       |
| २४०६,  | वनीकरण व वन्यजीवन   |           |   |                       |       |
| २४२५,  | सहकार   |           |   |                       |       |
| २५०१,  | ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम   |           |   |                       |       |
| २५१५,  | इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम   |           |   |                       |       |
| २७०२,  | लहान पाटबंधारे  |           |   |                       |       |
| २८०१,  | वीज   |           |   |                       |       |
| २८१०,  | नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा   |           |   |                       |       |
| २८५१,  | ग्रामोद्योग व लघुउद्योग   |           |   |                       |       |
| ३०५१,  | बंदरे व दीपगृहे   |           |   |                       |       |
| ३०५४,  | मार्ग व पूल   |           |   |                       |       |
| ३०५६,  | अंतर्देशीय जल परिवहन  |           |   |                       |       |
| ३४५१,  | सचिवालयीन-आर्थिक सेवा   |           |   |                       |       |
| ३४५२,  | पर्यटन  |           |   |                       |       |
| ३६०४,  | स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व<br>अभिहस्तांकित रकमा देणे |           |   |                       |       |
| २२०२,  | सर्वसाधारण शिक्षण   |           |   |                       |       |
| २२०३,  | तंत्र शिक्षण  |           |   |                       |       |
| २२०४,  | क्रीडा व युवक सेवा  |           |   |                       |       |
| २२०५,  | कला व संस्कृती  |           |   |                       |       |
| २२१०,  | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य  |           |   |                       |       |
| २२१५,  | पाणी पुरवठा व स्वच्छता  |           |   |                       |       |
| २२१७,  | नगरविकास  |           |   |                       |       |
| २२२०,  | माहिती व प्रसिद्धी  |           |   |                       |       |
| ओ-२६   | जिल्हा योजना-पुणे   |           | ३,०००   | ...                   | ३,००० |

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक<br>(१) | कामे व प्रयोजने<br>(२)   | विधानसभेने मत देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा |                              | एकत्रित निधीवर भारित<br>केलेल्या रकमापेक्षा | एकूण  |
|---|--|---|------------------------------|---|-------|
|   |  | लेखाशिर्ष<br>(३)                                | अधिक नसतील अशा रकमा -<br>(४) |   |       |
|   |  | रुपये   | रुपये                        | रुपये                                       | रुपये |
| २२२५,   | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण          |   |                              |   |       |
| २२३०,   | कामगार व सेवायोजन  |   |                              |   |       |
| २२३५,   | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण   |   |                              |   |       |
| २२३६,   | पोषण आहार  |   |                              |   |       |
| २४०३,   | पशुसंवर्धन   |   |                              |   |       |
| २४०४,   | दुग्धव्यवसाय विकास   |   |                              |   |       |
| २४०५,   | मत्स्यव्यवसाय  |   |                              |   |       |
| २४०६,   | वनीकरण व वन्यजीवन  |   |                              |   |       |
| २४२५,   | सहकार  |   |                              |   |       |
| २५१५,   | इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम  |   |                              |   |       |
| २७०२,   | लहान पाटबंधारे   |   |                              |   |       |
| २८०१,   | वीज  |   |                              |   |       |
| २८१०,   | नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा  |   |                              |   |       |
| २८५१,   | ग्रामोद्योग व लघुउद्योग  |   |                              |   |       |
| ३०५४,   | मार्ग व पूल  |   |                              |   |       |
| ३४५१,   | सचिवालयीन-आर्थिक सेवा  |   |                              |   |       |
| ३४५२,   | पर्यटन   |   |                              |   |       |
| ३६०४,   | स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे |   |                              |   |       |
| २२०२,   | सर्वसाधारण शिक्षण  |   |                              |   |       |
| २२०३,   | तंत्र शिक्षण   |   |                              |   |       |
| २२०४,   | क्रीडा व युवक सेवा   |   |                              |   |       |
| २२०५,   | कला व संस्कृती   |   |                              |   |       |
| २२१०,   | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य   |   |                              |   |       |
| २२१५,   | पाणी पुरवठा व स्वच्छता   |   |                              |   |       |
| २२१७,   | नगरविकास   |   |                              |   |       |
| २२२०,   | माहिती व प्रसिद्धी   |   |                              |   |       |
| ओ-३६  | जिल्हा योजना-नाशिक   |   | ४,०००                        | ...   | ४,००० |

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक | कामे व प्रयोजने | लेखाशिर्ष  | विधानसभेने मत् देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा |                       | एकूण  |
|--|-----------------|--|--|-----------------------|-------|
|  |                 |  | एकत्रित निधीवर भारित<br>केलेल्या रकमापेक्षा      | अधिक नसतील अशा रकमा - |       |
| (१)  | (२)             | (३)  | (४)  | (५)                   | (६)   |
|  |                 |  | रुपये  | रुपये                 | रुपये |
|  |                 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक<br>यांचे कल्याण         |  |                       |       |
| २२२५,  |                 | कामगार व सेवयोजन   |  |                       |       |
| २२३०,  |                 | पोषण आहार  |  |                       |       |
| २२३६,  |                 | पशुसंवर्धन   |  |                       |       |
| २४०३,  |                 | दुग्धव्यवसाय विकास   |  |                       |       |
| २४०४,  |                 | मत्स्यव्यवसाय  |  |                       |       |
| २४०५,  |                 | वनीकरण व वन्यजीवन  |  |                       |       |
| २४०६,  |                 | इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम  |  |                       |       |
| २५१५,  |                 | लहान पाटबंधारे   |  |                       |       |
| २७०२,  |                 | वीज  |  |                       |       |
| २८०१,  |                 | नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा  |  |                       |       |
| २८१०,  |                 | ग्रामोद्योग व लघुउद्योग  |  |                       |       |
| २८५१,  |                 | मार्ग व पूल  |  |                       |       |
| ३०५४,  |                 | सचिवालयीन-आर्थिक सेवा  |  |                       |       |
| ३४५१,  |                 | पर्यटन   |  |                       |       |
| ३४५२,  |                 | स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व<br>अभिहस्ताकित रकमा देणे |  |                       |       |
| ३६०४,  |                 |  |  |                       |       |
|  | ओ-७४            | जिल्हा योजना-अमरावती   | १,०००  | ...                   | १,००० |
|  |                 | सर्वसाधारण शिक्षण  |  |                       |       |
| २२०२,  |                 | तंत्र शिक्षण   |  |                       |       |
| २२०३,  |                 | क्रीडा व युवक सेवा   |  |                       |       |
| २२०४,  |                 | कला व संस्कृती   |  |                       |       |
| २२०५,  |                 | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य   |  |                       |       |
| २२१०,  |                 | पाणी पुरवठा व स्वच्छता   |  |                       |       |
| २२१५,  |                 | नगरविकास   |  |                       |       |
| २२१७,  |                 | माहिती व प्रसिद्धी   |  |                       |       |
| २२२०,  |                 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक<br>यांचे कल्याण         |  |                       |       |
| २२२५,  |                 |  |  |                       |       |





अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक | कामे व प्रयोजने                              | लेखाशिर्ष   | विधानसभेने मत् देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा<br>अधिक नसतील अशा रकमा - | एकूण            |
|--|--|---|---|-----------------|
| (१)  | (२)  | (३)   | (४)   |                 |
|  |  |   | रुपये   | रुपये           |
|  |  | एकूण-सार्वजनिक आरोग्य विभाग   | ३६,१३,९०,५७,०००   | ३६,१३,९०,५७,००० |
|  |  | एकूण-वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्वये विभाग                                  | ५,१३,७३,०१,०००  | ५,१३,७३,०१,०००  |
| एस-१   | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य             | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य  | ५,१३,७३,०१,०००  | ५,१३,७३,०१,०००  |
| टी-५   | जनजाति क्षेत्र विकास उपयोजनेवरील महसुली खर्च | आदिवासी विकास विभाग   | ५,१३,७३,०१,०००  | ५,१३,७३,०१,०००  |
|  |  | सार्वजनिक बांधकामे  | ५,२८,४५,५८,०००  | ५,२८,४५,५८,०००  |
|  |  | सर्वसाधारण शिक्षण   |   |                 |
|  |  | क्रीडा व युवक सेवा  |   |                 |
|  |  | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य  |   |                 |
|  |  | कुटुंबकल्याण  |   |                 |
|  |  | पाणी पुरवठा व स्वच्छता  |   |                 |
|  |  | नगरविकास  |   |                 |
|  |  | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण |   |                 |
|  |  | कामगार व सेवोयोजन   |   |                 |
|  |  | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण  |   |                 |
|  |  | पोषण आहार   |   |                 |
|  |  | पीक संवर्धन   |   |                 |
|  |  | पशुसंवर्धन  |   |                 |
|  |  | मत्स्यव्यवसाय   |   |                 |
|  |  | वनीकरण व वन्यजीवन   |   |                 |

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक | कामे व प्रयोजने                 | लेखाशिर्ष | विधानसभेने मत् देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा |                       | एकूण           |
|--|---------------------------------|-----------|--|-----------------------|----------------|
|  |                                 |           | एकत्रित निधीवर भारित<br>केलेल्या रकमापेक्षा      | अधिक नसतील अशा रकमा - |                |
| (१)  | (२)                             | (३)       | (४)  | (५)                   | (६)            |
|  |                                 |           | रुपये  | रुपये                 | रुपये          |
| २४२५,  | सहकार                           |           |  |                       |                |
| २४३५,  | इतर कृषिविषयक कार्यक्रम         |           |  |                       |                |
| २५०१,  | ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम |           |  |                       |                |
| २५०५,  | ग्रामीण रोजगार                  |           |  |                       |                |
| २७०२,  | लहान पाटबंधारे                  |           |  |                       |                |
| २८०१,  | वीज                             |           |  |                       |                |
| २८१०,  | नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा           |           |  |                       |                |
| २८५१,  | ग्रामोद्योग व लघुउद्योग         |           |  |                       |                |
| २८५२,  | उद्योग                          |           |  |                       |                |
| ३०५४,  | मार्ग व पूल                     |           |  |                       |                |
| ३०५५,  | मार्ग परिवहन                    |           |  |                       |                |
|  |                                 |           | ५,२८,४५,५८,०००                                   | ...                   | ५,२८,४५,५८,००० |

एकूण-आदिवासी विकास विभाग

**सहकार, पणन व वस्तोद्योग विभाग**

|        |               |  |     |                |                |
|--------|---------------|--|-----|----------------|----------------|
| व्ही-१ | व्याज प्रदाने |  | ... | १,२९,०३,०००    | १,२९,०३,०००    |
| व्ही-२ | सहकार         |  |     | ...            | ६,७१,५२,४७,००० |
|        |               |  |     | ६,७१,५२,४७,००० | ६,७१,५२,४७,००० |

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक | कामे व प्रयोजने | लेखाशिर्ष                           | विधानसभेने मत् देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा |                       | एकूण            |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|
|  |                 |                                     | एकत्रित निधीवर भारित<br>केलेल्या रकमापेक्षा      | अधिक नसतील अशा रकमा - |                 |
| (१)  | (२)             | (३)                                 | रुपये  | रुपये                 | रुपये           |
|  |                 |                                     |  | (४)                   |                 |
|  |                 | एकूण-सहकार, पणन व वस्तुद्योग विभाग  | ६,७९,५२,४७,०००                                   | ९,२९,०३,०००           | ६,७२,८९,५०,०००  |
|  |                 | <b>उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग</b>    |  |                       |                 |
|  |                 | २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण             | ९०,००,०९,०००                                     | ...                   | ९०,००,०९,०००    |
|  |                 | २२०५, कला व संस्कृती                | २,००,००,०००                                      | ...                   | २,००,००,०००     |
|  |                 | एकूण-उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग      | ९२,००,०९,०००                                     | ...                   | ९२,००,०९,०००    |
|  |                 | <b>महिला व बाल विकास विभाग</b>      |  |                       |                 |
|  |                 | २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण      | ६,२८,३९,५८,०००                                   | ...                   | ६,२८,३९,५८,०००  |
|  |                 | २२३६, पोषण आहार                     |  |                       |                 |
|  |                 | २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन             |  |                       |                 |
|  |                 | एकूण-महिला व बाल विकास विभाग        | ६,२८,३९,५८,०००                                   | ...                   | ६,२८,३९,५८,०००  |
|  |                 | <b>पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग</b> |  |                       |                 |
|  |                 | २२९५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता        | ३०,००,००,००,०००                                  | ...                   | ३०,००,००,००,००० |
|  |                 | एकूण-पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग   | ३०,००,००,००,०००                                  | ...                   | ३०,००,००,००,००० |

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा किंवा इतर विनियोजनाचा क्रमांक<br>(१) | कामे व प्रयोजने<br>(२)                 | लेखाशिर्ष<br>(३)                          | विधानसभेने मत् देऊन मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा अधिक नसतील अशा रकमा -<br>(४)                                   |   | एकूण        |
|--|--|---|--|---|-------------|
|  |  |   | रुपये  | रुपये                                       |             |
| <b>कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग</b>  |  |   |  |   |             |
| झेडए-२   | सेक्रेटरीएट आणि इतर सामाजिक सेवा       | २२०३,<br>२२३०,<br>२२३५,<br>२२५१,<br>२४०६, | तंत्र शिक्षण<br>कामगार व सेवायोजन<br>सामाजिक सुरक्षा व कल्याण<br>सचिवालयीन-सामाजिक सेवा<br>वनीकरण व वन्यजीवन | ...   | ३,६८,०००    |
|  |  |   |  | एकूण-कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग | ३,६८,०००    |
| <b>महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय</b>            |  |   |  |   |             |
| झेडसी-१  | संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळे | २०११,                                     | संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळे   | २,०००                                       | २,०००       |
| झेडसी-२  | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण               | २२३५,                                     | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण   | २,४३,९०,०००                                 | २,४३,९०,००० |
|  |  |   |  | एकूण-महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय           | २,४३,९२,००० |
| <b>पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग</b>         |  |   |  |   |             |
| झेडडी-२  | कला व संस्कृती                         | २२०५,                                     | कला व संस्कृती   | २,४४,९०,०००                                 | २,४४,९०,००० |
|  |  |   |  | एकूण-पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग        | २,४४,९०,००० |

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक | कामे व प्रयोजने                                   | लेखाशिर्ष  | विधानसभेने मत् देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा |                       | एकूण              |
|--|---|--|--|-----------------------|-------------------|
|  |   |  | एकत्रित निधीवर भारित<br>केलेल्या रकमापेक्षा      | अधिक नसतील अशा रकमा - |                   |
| (१)  | (२)   | (३)  | रुपये  | रुपये                 | रुपये             |
| <b>मराठी भाषा विभाग</b>                          |   |  |  |                       |                   |
| झेडएफ-१  | सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा                         | २०५२, सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा  | ८१,२१,०००  | ...                   | ८१,२१,०००         |
|  |   |  | एकूण-मराठी भाषा विभाग                            | ...                   | ८१,२१,०००         |
| <b>बी-भांडवली लेखावरील खर्च</b>                  |   |  |  |                       |                   |
| <b>गृह विभाग</b>                                 |   |  |  |                       |                   |
| बी-१०  | आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च                     | ४०५५, ४०७०, ५००२, ५०५५, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, भारतीय रेल्वे यावरील भांडवली खर्च (वाणिज्यिक मार्ग) मार्ग परिवहन यावरील भांडवली खर्च | १८,००,००,०००                                     | ...                   | १८,००,००,०००      |
|  |   |  | एकूण-ए-महसुली लेखावरील खर्च                      | १०,९९,८५,०००          | १,३४,९६,०९,४४,००० |
| <b>महसूल व वन विभाग</b>                          |   |  |  |                       |                   |
| सी-९   | इतर प्रशासकीय व सामाजिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च | ४२३५, ४२५०, ६२४५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च इतर सामाजिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी कर्ज         | १,७०,४४,०००                                      | ...                   | १,७०,४४,०००       |
|  |   |  | एकूण-महसूल व वन विभाग                            | ...                   | १,७०,४४,०००       |

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक                  | कामे व प्रयोजने                     | लेखाशिर्ष               | विधानसभेने मत् देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा                                       |                       | एकूण         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|--------------|
|   |                                     |                         | एकत्रित निधीवर भारित<br>केलेल्या रकमापेक्षा  | अधिक नसतील अशा रकमा - |              |
| (१)   | (२)                                 | (३)                     | (४)  | रुपये                 | रुपये        |
| <b>कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग</b> |                                     |                         |  |                       |              |
| डी-८  | पशुसंवर्धनावरील भांडवली खर्च        | ४४०३,                   | पशुसंवर्धनावरील भांडवली खर्च   | १९,००,००,०००          | १९,००,००,००० |
|   |                                     |                         | एकूण-कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग                        | १९,००,००,०००          | १९,००,००,००० |
| <b>नगरविकास विभाग</b>   |                                     |                         |  |                       |              |
| एफ-५  | सामाजिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च   | ४२१७,<br>५४७५,          | नगरविकासावरील भांडवली खर्च<br>इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च             | १७,८०,००,०००          | १७,८०,००,००० |
|   |                                     |                         | एकूण-नगरविकास विभाग  | १७,८०,००,०००          | १७,८०,००,००० |
| <b>वित्त विभाग</b>  |                                     |                         |  |                       |              |
| जी-९  | सार्वजनिक कर्जे व आंतरराज्यीय तडजोड | ६००३,<br>६००४,<br>७८१०, | राज्य शासनावे देशांतर्गत ऋण<br>केंद्र शासनाकडून कर्जे व आगाऊ रकमा<br>आंतरराज्यीय तडजोड | १,०००                 | १,०००        |
|   |                                     |                         | एकूण-वित्त विभाग   | १,०००                 | १,०००        |

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक | कामे व प्रयोजने  | लेखाशिर्ष   | विधानसभेने मत् देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा |                       | एकूण            |
|--|--|---|--|-----------------------|-----------------|
|  |  |   | एकत्रित निधीवर भारित<br>केलेल्या रकमापेक्षा      | अधिक नसतील अशा रकमा - |                 |
| (१)  | (२)  | (३)   | (४)  | (५)                   | (६)             |
| एच-७   | सामाजिक सेवा आणि आर्थिक सेवा यावरील भांडवली खर्च ४२१६,                     | गृहनिर्माणवावरील भांडवली खर्च                         | रुपये  | रुपये                 | ...             |
|  | ४७११,  | पूरनियंत्रण प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च                | ३८,००,००,०१,०००                                  | ३८,००,००,०१,०००       | ...             |
|  | ५०५४,  | मार्ग व पूल यांवरील भांडवली खर्च                      |  |                       |                 |
| एच-८   | सार्वजनिक बांधकामे आणि प्रशासकीय व कार्यचालन<br>इमारती यावरील भांडवली खर्च | सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च                   | ३२,०८,०२,०००                                     | ...                   | ३२,०८,०२,०००    |
|  |  | शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च   |  |                       |                 |
|  |  | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च |  |                       |                 |
|  |  | नगरविकासावरील भांडवली खर्च                            |  |                       |                 |
|  |  | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च         |  |                       |                 |
|  |  | इतर सामाजिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च                 |  |                       |                 |
|  |  | एकूण-सार्वजनिक बांधकाम विभाग                          | ३८,३२,०८,०३,०००                                  | ...                   | ३८,३२,०८,०३,००० |
| <b>जलसंपदा विभाग</b>                             |  |   |  |                       |                 |
| आय-५   | पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च   | मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च                    |  |                       |                 |
|  |  | मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च            | ४४,०००   | ...                   | ४४,०००          |
|  |  | लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च                    |  |                       |                 |
|  |  | पूरनियंत्रण प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च                |  |                       |                 |
|  |  | वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च                        |  |                       |                 |
|  |  | एकूण-जलसंपदा विभाग                                    | ४४,०००   | ...                   | ४४,०००          |

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग



अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा किंवा इतर विनियोजनाचा क्रमांक   | कामे व प्रयोजने                             | लेखाशिर्ष  | विधानसभेने मत् देऊन मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा |                       | एकूण            |
|---|---|--|---|-----------------------|-----------------|
|   |   |  | एकत्रित निधीवर भारित केलेल्या रकमापेक्षा      | अधिक नसतील अशा रकमा - |                 |
| (१)                                       | (२)   | (३)  | (४)   | (५)                   | (६)             |
| के-११                                     | वीज प्रकल्पासाठी कर्जे                      | वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च   | ६,२०,३५,०००                                   | ...                   | ६,२०,३५,०००     |
|   |   | वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे  |   |                       |                 |
| के-१२                                     | राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण                 | राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण  | ...   | ४९,५९,७५,००,०००       | ४९,५९,७५,००,००० |
|   |   | एकूण-उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग  | ६,२०,३५,०००                                   | ४९,५९,७५,००,०००       | ४९,६५,९५,३५,००० |
| <b>सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग</b> |   |  |   |                       |                 |
| एन-४                                      | सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च              | सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च  | ८०,००,००,०००                                  | ...                   | ८०,००,००,०००    |
|   |   | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च  |   |                       |                 |
|   |   | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च |   |                       |                 |
|   |   | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च  |   |                       |                 |
|   |   | मृद व जलसंधारण यांवरील भांडवली खर्च  |   |                       |                 |
|   |   | सहकारावरील भांडवली खर्च  |   |                       |                 |
|   |   | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याणासाठी कर्जे.         |   |                       |                 |
|   |   | एकूण-सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग  | ८०,००,००,०००                                  | ...                   | ८०,००,००,०००    |
| <b>नियोजन विभाग</b>                       |   |  |   |                       |                 |
| ओ-१०                                      | इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च | इतर ग्रामविकास कार्यक्रम यावरील भांडवली खर्च   | ३,१०,००,००,०००                                | ...                   | ३,१०,००,००,०००  |
|   |   | पर्यटनावरील भांडवली खर्च   |   |                       |                 |
| ओ-२१                                      | जिल्हा योजना-रायगड                          | सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च  | ७,०००   | ...                   | ७,०००           |







अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा किंवा इतर विनियोजनाचा क्रमांक | कामे व प्रयोजने                               | लेखाशिर्ष  | विधानसभेने मत् देऊन मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा अधिक नसतील अशा रकमा - | एकूण         |
|---|---|--|---|--------------|
| (१)                                     | (२)   | (३)  | (४)   |              |
|   |   |  | रुपये   | रुपये        |
|   | ५०५४,   | मार्ग व पूल यांवरील भांडवली खर्च                   | २,०००   | २,०००        |
|   |   | <b>एकूण-आदिवासी विकास विभाग</b>                    |   |              |
|   |   | <b>सहकार, पणन व वस्तोद्योग विभाग</b>               |   |              |
| व्ही-३                                  | सामाजिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च             | सहकारावरील भांडवली खर्च                            | ८८,२३,८०,०००  | ८८,२३,८०,००० |
|   |   | इतर कृषिविषयक कार्यक्रम यांवरील भांडवली खर्च       | ...   | ...          |
|   |   | ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यांवरील भांडवली खर्च       | ...   | ...          |
|   |   | इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च       | ...   | ...          |
| व्ही-४                                  | राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण                   | राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण                        | ७७,७९,०००   | ७७,७९,०००    |
|   |   | <b>एकूण-सहकार, पणन व वस्तोद्योग विभाग</b>          | ८८,२३,८०,०००  | ८९,०१,५९,००० |
|   |   | <b>कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग</b>      |   |              |
| झेडए-४                                  | इतर सामाजिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च         | इतर सामाजिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च              | ५०,००,००,०००  | ५०,००,००,००० |
|   |   | <b>एकूण-कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग</b> | ५०,००,००,०००  | ५०,००,००,००० |
|   |   | <b>अल्पसंख्याक विकास विभाग</b>                     |   |              |
| झेडई-२                                  | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च      | ७५,००,००,०००  | ७५,००,००,००० |

अनुसूची  
(कलमे २ व ३ पहा)

| अनुदानाचा<br>किंवा इतर<br>विनियोजनाचा<br>क्रमांक<br>(१) | कामे व प्रयोजने<br>(२)  | लेखाशिर्ष<br>(३)  | विधानसभेने मत् देऊन<br>मंजूर केलेल्या रकमापेक्षा<br>अधिक नसतील अशा रकमा -<br>(४) |                 | एकूण              |
|---|---|---|--|-----------------|-------------------|
|   |   |   | रुपये  | रुपये           |                   |
|   |   | एकूण-अल्पसंख्याक विकास विभाग  | ७५,००,००,०००   | ...             | ७५,००,००,०००      |
| <b>इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग</b>                     |   |   |  |                 |                   |
| झेडजी-४   | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च | ४२२५,  | ५०,००,००,०००    | ५०,००,००,०००      |
|   |   | एकूण-इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग   | ५०,००,००,०००   | ...             | ५०,००,००,०००      |
|   |   | एकूण-बी-भांडवली लेखावरील खर्च   | ४६,९१,४२,६३,०००  | ४९,६३,२३,२४,००० | ९६,५३,६५,८७,०००   |
|   |   | एकूण-बेरीज  | १,८१,७६,५२,२२,०००  | ४९,७३,२३,०९,००० | २,३१,४९,७५,३१,००० |

उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०४ व अनुच्छेद २०५ यानुसार २०२१-२२ या वर्षाच्या संबंधात विवक्षित सेवा व प्रयोजने यांवरील पूरक खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक रकमांचे, राज्याच्या एकत्रित निधीतून विनियोजन करण्याकरिता तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत आहे.

रकमा खाली दर्शविण्यात आल्या आहेत :—

|                   |    |    |         | रुपये             |
|-------------------|----|----|---------|-------------------|
| (ए) महसुली खर्च   | .. | .. | ..      | १,३४,९६,०९,४४,००० |
| (बी) भांडवली खर्च | .. | .. | ..      | ९६,५३,६५,८७,०००   |
|                   |    |    | एकूण .. | २,३१,४९,७५,३१,००० |

मुंबई,  
दिनांक ६ जुलै २०२१.

अजित पवार,  
उप मुख्यमंत्री.